



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012021-224618
CG-DL-E-21012021-224618

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2021/माघ 1, 1942

No. 279]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2021/MAGHA 1, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2021

का.आ. 310(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में NH 3 (नया 52) के कि.मी. 59.480 से कि.मी. 65.810 [अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी(राजस्व), धार] तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ी करण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू अर्जन), तहसील धार, जिला धार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में NH3 (नया 52) का इंदौर खलघाट खंड के कि.मी. 59.480 से कि.मी. 65.810 बाकानेर घाट का पुनः संरेखण (रि-अलाइनमेंट) [अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील धार, जिला धार] के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: धार			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: धरमपुरी					
गांव का नाम: भैंसखो खुर्द					
1	26/2	निजी	असिंचित	0.0164000(हेक्टेयर)	0.0164000
2	27/2	सरकारी	असिंचित	0.0548000(हेक्टेयर)	0.0548000
3	28/1	सरकारी	असिंचित	0.3160000(हेक्टेयर)	0.3160000
4	28/2	सरकारी	जंगल	0.0802000(हेक्टेयर)	0.0802000
5	29	निजी	असिंचित	0.2290000(हेक्टेयर)	0.2290000
6	30/1	सरकारी	जंगल	0.8862000(हेक्टेयर)	0.8862000
7	30/3	सरकारी	असिंचित	0.5716000(हेक्टेयर)	0.5716000
8	31/1	सरकारी	जंगल	0.8389000(हेक्टेयर)	0.8389000
गांव का नाम: कोठीदा					
1	110	सरकारी	पहाड़	1.0988000(हेक्टेयर)	1.0988000
2	115	सरकारी	पहाड़	0.9252000(हेक्टेयर)	0.9252000
3	120	सरकारी	असिंचित	6.9546000(हेक्टेयर)	6.9546000
कुल				11.9717	11.9717

[फा. सं. NHAI/LA/2019/3(a)-Notif/Addtl./PIU-Indore/3A3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2021

S.O. 310(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH3 in the

stretch of land from Km 59.480 to Km 65.810 (Sub Divisional Office (Revenue), Dhar, District Dhar) in the district of DHAR in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, (Revenue), Dhar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in Realignment of Bakaner Ghaat of Old NH3 (New NH 52) from KM 59.480 to 65.810 (Indore Khalghaat Section) (Sub Divisional Office, Dhar, District Dhar) in the district of DHAR in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH		District: DHAR			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Dharampuri					
Village: Bhainsakho Khurd					
1	26/2	Private	Unirrigated	0.0164000(Hectare)	0.0164000
2	27/2	Government	Unirrigated	0.0548000(Hectare)	0.0548000
3	28/1	Government	Unirrigated	0.3160000(Hectare)	0.3160000
4	28/2	Government	Jungle	0.0802000(Hectare)	0.0802000
5	29	Private	Unirrigated	0.2290000(Hectare)	0.2290000
6	30/1	Government	Forest	0.8862000(Hectare)	0.8862000
7	30/3	Government	Unirrigated	0.5716000(Hectare)	0.5716000
8	31/1	Government	Jungle	0.8389000(Hectare)	0.8389000
Village: Kothida					
1	110	Government	Hill	1.0988000(Hectare)	1.0988000
2	115	Government	Hill	0.9252000(Hectare)	0.9252000
3	120	Government	Unirrigated	6.9546000(Hectare)	6.9546000
Total				11.9717	11.9717

[F. No. NHAI/LA/2019/3(a)-Notif/Addtl./PIU-Indore/3A3]

RAJESH GUPTA, Director